



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 9, 2019/वैशाख 19, 1941

No. 154]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 9, 2019/VAISAKHA 19, 1941

भारतीय उपचर्या परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2019

फा.सं. 1-6/(एलटी)-2019-आईएनसी.—भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का 48वां) के खंड 10 के अधीन भारतीय उपचर्या परिषद् की 2 दिसम्बर, 2018 को हुई बैठक में पारित एक प्रस्ताव द्वारा की गई निम्न घोषणा, उपर्युक्त अधिनियम के खंड 15 के उप-खंड (1) के अधीन अपेक्षा के अनुसार एतद्वारा प्रकाशित की जाती है :-

महाराष्ट्र शुश्रूषा व परावैधक शिक्षण मंडल, मुम्बई द्वारा 2 दिसम्बर, 2018 को या उसके बाद प्रदत्त जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम), सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी (एएनएम) तथा स्वास्थ्य परिदर्शिका (एचवी) अर्हताओं की मान्यता

जबकि महाराष्ट्र शुश्रूषा व परावैधक शिक्षण मंडल, मुम्बई, वैद्यकीय शिक्षण व औषधि द्रव्य विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एमएनसी.1612/सी.आर.155/12 (पार्ट II)/एक्ट दिनांक 7 जुलाई, 2014 के तहत एक मान्यता-प्राप्त प्राधिकरण है, और महाराष्ट्र शुश्रूषा व परावैधक शिक्षण मंडल अधिनियम, 2013 (महा. 2013 का 23वां) में महाराष्ट्र शुश्रूषा व परावैधक शिक्षण मंडल को जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम), सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी (एएनएम) तथा स्वास्थ्य परिदर्शिका (एचवी) अर्हताएं प्रदान करने हेतु अनुबंधित किया गया है, महाराष्ट्र शुश्रूषा व परावैधक शिक्षण मंडल ने यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का 48वां) के अधीन गठित भारतीय उपचर्या परिषद् को यह आवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रदत्त जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम), सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी (एएनएम) तथा स्वास्थ्य परिदर्शिका (एचवी) अर्हताओं को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मान्यता प्रदान की जाए।

अब परिषद् ने उपर्युक्त प्रयोजन के लिए 2 दिसम्बर, 2018 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया है कि निम्न अर्हताओं को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए मान्यता प्रदान की जाए बशर्ते कि ये अर्हताएं 2 दिसम्बर, 2018 को या इसके बाद प्रदान की गई हों :-

“महाराष्ट्र शुश्रूषा व परावैधक शिक्षण मंडल द्वारा 2 दिसम्बर, 2018 को या उसके बाद प्रदत्त जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम), सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी (एएनएम) तथा स्वास्थ्य परिदर्शिका (एचवी) अर्हताएं।”

डॉ. टी. दिलीप कुमार, अध्यक्ष,

[विज्ञापन-III/4/असा./38/19]

INDIAN NURSING COUNCIL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th May, 2019

F.No. 1-6/(LT)-2019-INC.—The following declaration made by a resolution passed at a meeting of Indian Nursing Council held on 2nd December, 2018 under Section 10 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947) is hereby published, as required by Sub-section (1) of Section 15 of the said Act, namely:—

Recognition of General Nursing & Midwifery (GNM), Auxiliary Nursing Midwifery (ANM) and Health Visitors (HV) qualifications granted by the Maharashtra State Board of Nursing and Paramedical Education, Mumbai on or after 2nd December, 2018.

WHEREAS, the Maharashtra State Board of Nursing and Paramedical Education, Mumbai being an authority recognized by the Government of Maharashtra, Medical Education and Drugs Department vide notification No. MNC.1612/C.R.155/12(Part II)/Act dated 07.07.2014 and The Maharashtra State Board of Nursing and Paramedical Education Act, 2013, (Mah. XXIII of 2013) stipulates Maharashtra State Board of Nursing and Paramedical Education to be the Examining Body for General Nursing & Midwifery (GNM), Auxiliary Nursing Midwifery (ANM) and Health Visitors (HV) qualifications. Maharashtra State Board of Nursing and Paramedical Education has applied to the Indian Nursing Council constituted under the INC Act, 1947 (XLVIII of 1947), as amended from time to time, that the qualification granted by it in General Nursing & Midwifery (GNM), Auxiliary Nursing Midwifery (ANM) and Health Visitors (HV) be recognized for the purpose of the said Act on or after 2nd December, 2018.

Now, the Council at its meeting held on 2nd December, 2018 for the said purpose resolved that the following qualifications when granted on or after 2nd December, 2018 shall be recognized qualifications for the purpose of the said Act namely:-

“General Nursing & Midwifery (GNM), Auxiliary Nursing Midwifery (ANM) and Health Visitors (HV) qualification granted by the Maharashtra State Board of Nursing and Paramedical Education on or after 2nd December, 2018.”

Dr. T. DILEEP KUMAR, President

[ADVT.-III/4/Exty./38/19]